न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व अपील संख्या 03/2022 — अन्तर्गत धारा 75 RLR Act.

अपीलाण्ट	बनाम	उत्तरदातागण
कुन्दनदान पुत्र स्व0 हीरदान जाति चारण, निवासी झांफलीखुर्द तहसील शिव, बाड़मेर		1. ग्राम पंचायत झाफलीकला जरिये सरपंच 2. कुम्पदान पुत्र भूरदान 3. चनणदान पुत्र भूरदान 4. पदमदान पुत्र दलदान 5. लालुदान पुत्र दलदान 6. सुनितादेवी पत्नी कुन्दनदान 7. कमलादेवी पत्नी स्व0 नरेन्द्रदान 8. भरतदान पुत्र स्व0 नरेन्द्रदान 9. शलेन्द्रदान पुत्र स्व0 नरेन्द्रदान कौम चारण, निवासी झाफलीखुर्द तहसील शिव, जिला बाड़मेर 10. जामाकंवर पत्नी महेशसिंह जाति राजपुत, निवासी मेगे का गांव तहसील शिव, जिला बाड़मेर 11. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा शिव

उपस्थित :– 1. अपीलाण्ट अधिवक्ता – बृजमोहन कुमावत।
2. उत्तरदाता संख्या 2 से 10 के अधिवक्ता – भगवानदास गोयल।

–:: आदेश ::–

दिनांक : **04.01.2023**

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

संक्षेप में अपील के तथ्य निम्न प्रकार है कि अपीलाण्ट व उत्तरदाता संख्या 2 से 9 स्व0 हेमदान के वारिशान है जिनका पैतृक खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 21 रकबा 18.3241 हैक्टेयर अर्थात 113.04 बीघा का मौजा चक नेगरड़ा, पटवार मण्डल झाफलीकला, तहसील शिव में आया हुआ है। उक्त आराजी में अपीलाण्ट के पिता हीरदान पुत्र द्वारकदान का 1/16 हिस्सा में 07.02 बीघा भूमि आती है, जिनका विरासती नामांतरकरण संख्या 121 समधादेवी पत्नी स्व0 हीरदान, कुन्दनदान हुकमदान अर्जुनदान राणीदान पिता स्व0 हीरदान, कमलादेवी पत्नी स्व0 नरेन्द्रदान, भरतदान शलेन्द्रदान पिता स्व0 नरेन्द्रदान के नाम से सही भरा गया। पूर्व खातेदार अचलदान व लाडूदान पिता द्वारकदान द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा की जमीन नरेन्द्रदान पुत्र हीरदान को जरिये रजिस्टर्ड बैचान दिनांक 05.06.2002 को करने से क्रेता नरेन्द्रदान के नाम नामांतरकरण संख्या 62 दिनांक 16.10.2002 को जो पारित किया गया वह पूर्णतया सही है, तत्कालीन क्रेता खातेदार नरेन्द्रदान का देहान्त हो जाने पर उक्त भूमि में उनके स्थान पर उनके वारिशान में कमलादेवी पत्नी नरेन्द्रदान, भरतदान शलेन्द्रदान पिता स्व0 नरेन्द्रदान के क्रय शुदा हिस्सा की 14.03 बीघा भूमि का सही भरा गया। विवादित आराजी में 1/16 हिस्सा के खातेदारान् समधादेवी पत्नी हीरदान, कुन्दनदान हुकमदान अर्जुनदान राणीदान पिता हीरदान, कमलादेवी पत्नी नरेन्द्रदान, भरतदान [illegible] अपना सम्पूर्ण हिस्सा की भूमि जरिये हकतर्कनामा दिनांक 17.04.2018 को सहखाते[illegible] कुन्[illegible]न पुत्र स्व0 हीरदान के पक्ष में हकतर्कनामा डीड संख्या 2018[illegible]42 रकबा 5.1[illegible] भूमि का नामांतरकरण संख्या 129 भरते समय हल्का पटवारी द्वारा पूर्व क्रेता खातेदार [illegible] के वारिशान के नाम पृथक से दर्ज 14.03 बीघा भूमि जो क[illegible] शलेन्द्रदान पिता स्व0 नरेन्द्रदान के खातेदारी अधिकारों की थी, जिसका कोई हकतर्क अथवा बैचान वगैरा नहीं होते हुए भी उनका नाम राजस्व रेकर्ड में उक्त नामांतरकरण पारित करते समय हटाकर सम्पूर्ण भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Singh Jodha
Date: 2023.04.05 19:05:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिव (जिला बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

विधि विरूद्ध रूप से अपीलाण्ट के नाम दर्ज कर भारी कानूनी भूल की गई है। स्व0 हीरदान के हिस्से में 07.02 बीघा भूमि आती थी, जिसके वारिशान में प्रत्येक को 01.03 बीघा भूमि आती है। परन्तु हल्का पटवारी द्वारा पंजीबद्ध हकतर्क नामा डीड देखे बिना ही अपीलाण्ट के हिस्से से अधिक भूमि रेकर्ड में दर्ज करने का नामांतरकरण भरा गया, जो कि विधि विरूद्ध एवं गलत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। इस प्रकार के गलत व विधि विरूद्ध आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। इस प्रकार के आदेशों को चुनौती देने बाबत् म्याद का बिन्दु लागू नहीं होता है। अपीलाण्ट को इस अनियमित आदेश का ज्ञान हाल ही में कुछ अरसा पूर्व होने से यह अपील वास्तविक ज्ञान की तारीख से अन्दर म्याद पेश है, साथ ही अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतु एहतियात के तौर पर अपील अन्दर म्याद शुमार किये जाने हेतु धारा 5 लिमिटेशन एक्ट मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः अपीलाण्ट की अपील मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर मौजा चक नेगरड़ा के नामान्तरकरण संख्या 129 को निरस्त कर अपीलाधीन आराजी खसरा नम्बर 21 रकबा 18.3241 हैक्टेयर अर्थात 113.04 बीघा भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट के पक्ष में निष्पादित हकतर्कनामा अनुसार पुनः नये सिरे से नामान्तरकरण भरा जाकर स्वीकृत किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर उत्तरदातागण को जरीये सम्मन जबाव हेतु तलब किया गया। जिस पर उत्तरदातागण संख्या 2 से 10 की ओर से जरीये अधिवक्ता जवाब पेश कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाती है तो हम उत्तरदातागण को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 129 मौजा चक नेगरड़ा, तहसील शिव का अवलोकन करने पर उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण हकतर्कनामा दस्तावेज संख्या 201801064000942 दिनांक 17.04.2018 की पालना में खोला गया है एवं उक्त हकतर्कनामा दस्तावेज में खसरा नम्बर 21 रकबा 113.04 बीघा में से 05.18 बीघा भूमि का हकतर्क किया गया है, जबकि राजस्व रेकर्ड में उक्त दस्तावेज का नामांतरकरण दर्ज करते समय त्रूटिवंश रकबा 07.02 बीघा के स्थान पर 21.05 बीघा कर दिया गया है, जो प्रथम दृष्टया त्रूटिपूर्ण है। उत्तरदाता संख्या 2 से 10 द्वारा भी उक्त नामांतरकरण को निरस्त कर नये सिरे से पुनः नामांतरकरण दर्ज करने हेतु सहमति प्रदान की गई है। परन्तु उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण त्रुटिपूर्ण होने एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण हकतर्कनामा दस्तावेज से भिन्न होने के कारण अविधिक है। अतः उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 129 को निरस्त किया जाता उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा अपीलाण्ट की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 129 मौजा चक नेगरड़ा, पटवार मण्डल झांफलीकला, तहसील शिव को निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार शिव को हकतर्कनामा दस्तावेज संख्या 201801064000942 दिनांक 17.04.2018 की पालना में नये सिरे से विधि सम्मत सही नामान्तरकरण पारित करने आदेशित किया जाता है।

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (जिला बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 04.01.2023 को खुले इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (जिला बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahaveer Singh Jodha
Date: 2023.04.05 19:05:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner